वर्ष - 1 | अंक - 6 | अप्रैल 2021

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कोरोना काल में एक साथ कई मोर्चों पर जिम्मेदारी संभाल रहा है नगर निगम

'अब न कोई बहाना मास्क है लगाना' अभियान

मेडिसिन किट वितरण

1001 रांगोली से दिया मास्क पहनने संदेश

सेनेटाईजेशन का कार्य

लावारिसों के अंतिम संस्कार हेतु मुक्तिधाम में पंहुचाई लकड़ियां

प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन हेतु अधिकारी नियुक्त

बायो मेडिकल वेस्ट व डिस्पोजल का संग्रहण

ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय

शवों के परिवहन हेतु पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था

जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

नगर निगम ने चलाया अभियान "अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना"

नगर निगम ने अब ना कोई बहाना-मास्क है लगाना अभियान के तहत शहर में रांगोली के माध्यम से कोविड से बचाव का संदेश देते हुए लोगों को मास्क का वितरण कर उन्हे मास्क पहनने का तरीका समझाया

कोरोना वायरस दुनिया के सामने एक नई चुनौती है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी एक कारगर उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करे। यह बचाव का बहुत बड़ा अस्त्र है। मास्क के अलावा बार–बार साबुन से हाथ धोने या सेनेटाईज करने की आदत और दो गज की दूरी भी कोरोना से बचाने में काफी मददगार है। इसे हर नागरिक जरूर अपनाए। कोविड की दूसरी लहर ज्यादा घातक साबित होती जा रही है ऐसे में कोई भी मास्क पहनने में ढिलाई न बरते और मास्क का उपयोग पूरी ईमानदारी से करे। उक्त बात नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने शुक्रवार को अब ना कोई बहाना–मास्क है लगाना अभियान की शुरुवात के दौरान कही। इस अभियान के तहत शुक्रवार को शहर में रांगोली के माध्यम से कोविड से बचाव का संदेश देते हुए लोगों को मॉस्क का वितरण कर उन्हे मॉस्क पहनने का तरीका समझाया गया।

मास्क का वितरण कर उन्हे मास्क पहनने का तरीका समझाया

E-News Letter

रतलाम
नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर सफाई मित्र समूह ने शहर के सार्वजनिक स्थलों, पेट्रोल पंपों, पुलिस थाने, जिला अस्पताल, बाल चिकित्सालय व शहर के तमाम प्रमुख चौराहों पर रांगोली के माध्यम से लोगों को मॉस्क की उपयोगिता समझाई। इस दौरान समूह के सदस्यों ने बगैर मॉस्क के सडकों, अपने मोहल्लों, कालोनियों में बगैर मॉस्क के घुमने वालों, मॉस्क को मुंह के नीचे लटका कर घूमने वाले लोगों को नगर निगम के माध्यम से मास्क भेट किए और निवेदन किया की एक मास्क आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन बचा सकता है। इस अभियान के दौरान आना–जाने वाले लोगों के हाथ सैनेटाईज भी किए जाकर उन्हे समझाईश दी गई कि घर से बाहर आने के पहले और घर पर लौटने के बाद हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखे और अगर बाजार से कोई सामान भी लाते है तो भी उस सामग्री को भी धो कर उपयोग में ले।

मत बरतों ढिलाई, मास्क पहनो भाई
कोरोना से खुद बचें और दूसरों को भी बचाऐं

नगर निगम के अब न करो बहाना,मॉस्क जरुर लगाने के तहत रांगोलियों के माध्यम से कोविड से बचाव का संदेश देते हुए लोगों को मॉस्क का वितरण कर लोगों को सही ढंग से मॉस्क पहनने का तरीका समझाया गया

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

श्री झारिया ने लोगों से आव्हान किया है कि कोविड गाईड लाईन को सभी नागरिक समझे और दूसरों को भी समझाए

इस मौके पर आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहां कि कोरोना से बचाव में मास्क की भी बहुत अहमियत है लेकिन मास्क कैसे इस्तेमाल किया जाए , इसकी पूरी जानकारी सबके पास नहीं है. मास्क कब और कैसे पहनना चाहिए. यह भी जानना जरुरी है।

स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में शहर के प्रमुख चौराहे, पुलिस थाने सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफाई मित्र समूह ने रांगोली निर्माण कर लोगों को कोविड से बचने का संदेश देते हुए मॉस्क का वितरण किया और लोगो को मॉस्क सही ढंग से पहनने का तरीका भी समझाया। इस मौके पर श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि अगर आपको खांसी और जुकाम है तो मास्क अवश्य पहनें. भीड़–भाड़ वाली जगहों पर मास्क अवश्य पहनें. कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क लगाएं. मास्क पहनने से पहले हाथ अच्छी तरह साफ करें. मुंह और नाक को मास्क से पूरी तरह से ढंकें. मास्क पहनते समय मुंह और नाक के पास कोई गैप ना रखें. मास्क पहनने के बाद इसे हाथों से ना छूएं. यदि मास्क छू लिया है तो हाथों को तुरंत साफ करें. एक मास्क इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल ना करें. मास्क को बार–बार छूने से बचें. यदि आप स्वस्थ हों तो मास्क पहनने से बचें. मास्क को अपने गले पर ना लटकाएं. अगर मास्क गीला हो जाए तो उसे 6 घंटे के अंदर बदल दें. जैसे मास्क पहनने का सही तरीका है, वैसे ही उतारने का भी. मास्क को कभी भी बाहर की तरफ से हाथ ना लगाएं. मास्क को पीछे से उतारे और डस्टबीन में डाल दें. मास्क उतारने के बाद हाथ सैनिटाइज करें. श्री झारिया ने लोगों से आव्हान किया है कि कोविड गाईड लाईन को सभी नागरिक समझे और दूसरों को भी समझाए।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

लावारिसों के अंतिम संस्कार हेतु मुक्तिधाम में पहुंचाई लकड़ियां

नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ने पर की जाने वाली पेड़ो की छंटनी व पेड़ गिर जाने पर पांजरा पोल व मानस भवन परिसर में एकत्रित की लकड़ियों को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा नगर के मुक्तिधामों पर भेजा जा रहा है। निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 09 अप्रैल शुक्रवार को भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम में 9 अप्रैल को 2 ट्रॉली व 10 अप्रैल को 2 ट्रॉली लकड़ियां पंहूचाई गई जो कि लावारिस व्यक्तियों के अंतिम संस्कार में उपयोग की जायेगी

मास्क नहीं लगाने पर होगा जुर्माना

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कोविड–19 (नोवल कोरोना वायरस) के संक्रमण को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नगर निगम के स्पॉट फाईन दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम-1949 के अन्तर्गत कोविड-19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलती है। उक्त बीमारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। नागरिकों से अपील है कि वे अनिवार्य रूप से मास्क लगायें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

बगैर मास्क वाले 15 व्यक्तियों पर 100–100 रुपया का किया जुर्माना

मास्क नहीं लगाने वाले 18 व्यक्तियों पर किया जुर्माना

वैक्सीन बचाएगी जान, मास्क से बचेगा संक्रमण, कोरोना में मास्क लगाए और अपना जीवन बचाएं

कोविड महामारी से बचने का एक मात्र उपाय मास्क का उपयोग ही माना जा रहा है। दुनियाभर में सभी देश एक साथ एक स्वर में आमजन से आव्हान कर रहे है कि मास्क लगाए और अपने साथ अपने साथियों को भी जीवन बचाए। नगर निगम महामारी के इस काल में अपने प्रयासों से लोगों को मास्क पहनने की समझाईश विभिन्न तरीके से दे रहा है। इसके लिए जगह–जगह रांगोली के माध्यम से मास्क लगाए जाने के प्रेरणादायी स्लोगन लिखे जा रहे है वही निःशुल्क मास्क का वितरण कर लोगों को सही ढंग से मास्क पहनने का तरीका भी समझाया जा रहा है। कोरोना महामारी के इस संकटकाल में हर किसी को अपनी सुरक्षा करना बेहद जरुरी हो चुका है। शासन–प्रशासन जहां एक और अपने स्तर से लोगों को महामारी से बचाने और संक्रमित लोगों को उपचार लाभ देने का हर संभव प्रयास कर रहा है, ऐसे में आमजन को भी जागरुक होकर शासन की गाईड लाईन का पालन करते हुए मास्क आदी से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना होगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन किया जा रहा है

नगर के विभिन्न क्षेत्रों को फायर लॉरी से सेनेटाईज

रतलाम नगर पालिक निगम

E-News Letter

दो गज दूरी मास्क है जरुरी

रतलाम नगर के नागरिकों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने हेतु जिला कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम के विभिन्न वाहनों के माध्यम से सोडियम हाईपोक्लोराईड से सेनेटराईज किया जा रहा है साथ ही माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्रों में भी हैण्ड मशीन से सेनेटाईजेशन किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा प्रतिदिन फायर लॉरी व ट्रेक्टर ट्रॉली से नगर के विभिन्न क्षेत्रों की सड़कों, गलियों, भवन आदि को 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड मिलाकर 1 लाख लीटर से सेनेटराईज किया जा रहा है।

हैण्ड मशीन के माध्यम से सेनेटाईजेशन का कार्य

इसके अलावा 14 से 50 व्यक्तियों की टीम द्वारा हैण्ड मशीन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, माईक्रो कन्टेनमेंट क्षेत्र, शासकीय कार्यालय आदि में सेनेटराईजेशन का कार्य किया जा रहा है। नगर के सेनेटराईज किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई का कार्य किया जा रहा है व सफाई उपरान्त सफाईस्थल व नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया जा रहा है।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम का बड़ा प्रयास

कोरोना काल के बीच विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नगर निगम ने एक ही दिन में 1001 रांगोली का निर्माण कर लाखों लोगों को बताया मास्क, सैनेटाईज और दो गज की दूरी का महत्व, सैकड़ों लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत नागरिकों को स्वच्छता का पाठ पढ़ा कर शहर के सभी वार्डो को जीरों वेस्ट बना चुके नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 1001 रांगोली का निर्माण कर लाखों लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके समझाए गए है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों को निःशुल्क मास्क का वितरण कर उन्हे सही ढंग से मास्क पहनने का तरीका भी समझाया गया है।

रांगोलियों में नगर निगम करती आव्हान, मास्क पहनों श्रीमान जैसे दर्जनों संदेश दिए गए थे। कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर बुधवार सुबह रांगोली का निर्माण शुरु किया गया जो देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान विभिन्न वार्डो और सार्वजनिक सीलों पर लोगों को कोरोना संक्रमण के दौरान इससे बचने के संदेश रांगोलियों के माध्यम से दिए गए। यहां आने जाने वाले लोगों को मास्क का वितरण किया गया और उन्हे सही ढंग से मॉस्क पहनने के तरीके समझाए गए।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम ने स्वच्छता के साथ ही लोगों को कोविड से सावधान रहने का आव्हान रांगोली के माध्यम से किया

देश, प्रदेश और शहर में में कोरोना की दूसरी लहर का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में 'दो गज की दूरी, मास्क भी जरूरी' स्लोगन को ही सच्चाई के साथ स्वीकार करना होगा। इसी से हम स्वयं बचेंगे और समाज के लोगों को भी रोग से बचा सकेंगे। ऐसे में लोगों से अनुरोध किया जाता है कि अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के साथ ही मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करे।

कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश पर शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत जागरुकता कार्यक्रमों के दौरान रांगोली के माध्यम से नागरिकों को मॉस्क, दो गज की दूरी और सैनेटाईजर का महत्व समझाया गया है। श्री झारिया ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रीजी के दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के संदेश को पूरी तरह पालन कराने के लिए नगर निगम प्रशासन सभी को जागरूक करने में सतत जुटा है। इसके लिए मेरे सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से लेकर अन्य सरकारी कामकाज के दौरान मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होने नगर निगम के इस 'अब न कोई बहाना मास्क है लगाना' अभियान की शुरुवात को लेकर कहां कि मास्क पहनने की अनिवार्यता के साथ ही उसकी साफ–सफाई और पहनने के सही तरीके का पालन करना भी बहुत जरूरी है।

इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी श्री एपी सिंह ने नागरिकों को मॉस्क का वितरण करते हुए इसे सही तरीके से पहनने का आव्हान भी किया। साथ ही समझाईश भी दी कि रंगपंचमी सहित अन्य त्यौहार अपनों के बीच ही मनाए, क्यूकि ये समय की मांग है और स्वयं के साथ ही दूसरों को भी कोविड संक्रमित होने से बचाए।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोविड महामारी की इस घड़ी में मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सैनेटाईज करने की प्रक्रिया हमे इस वायरस से बचा सकने में सहायक है। मास्क न केवल लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाव करने में मदद करेगा बल्कि इसके जरिए आप मौसम में होने वाली और भी कई एलर्जी से छुटकारा पा सकते हैं. गर्मियों का मौसम लगभग शुरू हो गया है. ऐसे में धूल मिट्टी के कारण अक्सर लोगों को त्वचा से संबंधित परेशानियां हो जाती हैं. श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया है कि मास्क पहनने से आप केवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बल्कि खुद को और भी कई बिमारियों से बचा पाने में सक्षम रहेंगे. इसलिए कोशिश करें की **अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने** अगर आप स्वस्थ है तब भी मास्क का इस्तेमाल करें. जो आपको और अपके आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखने में मदद करेगा. **नगर निगम करती आव्हान, मास्क पहनों श्रीमान** सतत जारी रहेगा जागरुकता अभियान आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर रिकार्ड बनाने वाली इस गतिविधि को लेकर कहां कि जुर्माना, अस्थायी जेल, फटकार आदि तरीकों के माध्यम से लोगों को कोरोना गाईड लाईन का पालन करने की समझाईश दी जा रही है। इसी बीच नगर निगम ने गांधीगिरी का यह तरीका अपनाया है। रांगोली लोगों में सकारात्मक भाव जगाते है। हम चाहते है कि लोग इस भीषण कोराना काल में अपनी जिम्मेदारी समझ कर उसे निभाए और अपने साथ ही दूसरों की भी जान बचाए।

इनका रहा सहयोग :- कोरोना काल में आमजन को वायरस से बचाने के तरीके समझाने के लिए नगर निगम द्वारा रांगोली निर्माण के दौरान सफाई मित्र समूह के मार्गदर्शन में शहर की तमाम माता–बहनों और बच्चों रांगोली का निर्माण कर मॉस्क का वितरण किया गया। इस महाअभियान में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री वनिता लोढ़ा, परियोजना अधिकारी चेतना गेहलोत, अर्चना माहोर,एक दर्जन से ज्यादा पर्यवेक्षण, समूह संचालक श्रीमती सोफिया कुरेशी, श्रीकृष्ण समूह, मोहित सोनी सहित अनेक लोगों ने भरपूर सहयोग दिया।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

सावधानी रखें और कोरोना महामारी से बचें

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कहां है कि अपने घर और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हुए **कोविड-19 महामारी** से बचाव के लिए तय किए गए नियमों का पालन करे और अपने और अपने परिवार को कोरोना से बचाए। यह समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतने का है। नगर निगम अपनी अपनी टीम के माध्यम से लोगों को जागरुक करने का प्रयास निरन्तर कर रही है।

सर्जिकल मास्क पहले और उसके ऊपर एम 9 एम 5 मास्क लगाने की हिदायत दी

शहर में बढ़ते लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के मद्देनजर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम सफाई कर्मचारियों में खासकर डोर टू डोर कलेक्शन करने वाले सफाई कर्मचारियों को मास्क लगाने व सैनिटाइजर का उपयोग करने की हिदायत दी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने प्रातः 8:00 बजे निगम के फायर स्टेशन भवन समस्त उपस्थित कर्मचारियों को मास्क लगाने सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा वाहनों में चढ़ने व उतरने के बाद में गाड़ी को भी सेनीटाइज करके ही रखने के निर्देश दिए वहीं वार्ड दरोगा एवं वार्ड के जो नियमित सफाई कर्मचारी हैं उनको भी उक्त निर्देश निगम आयुक्त द्वारा दिए गए साथ ही उन्होंने सर्जिकल मास्क पहले और उसके ऊपर एम 9 एम 5 मास्क लगाने की हिदायत दी।

मास्क और दो गज की दूरी की अहमियत समझें

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कोविड-19 महामारी के विभिन्न कार्य संपादन हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने

अधिकारी एवं कर्मचारियों को किया पाबंद

कोविड–19 महामारी की वर्तमान स्थिति में निकायों में उचित व्यवस्थाऐं किये जाने हेतु शासन निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को पाबंद किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने नगरीय क्षेत्र रतलाम में स्वंय सेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित शमशान घाट/कब्रिस्तान या अन्य अंतिम संस्कार स्थलों पर व्यवस्थाऐं सुदृढ़ किये जाने एवं प्रशासक/कलेक्टर के मार्गदर्शन में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु वार्ड क्रमांक 1 से 25 तक उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया व वार्ड क्रमांक 26 से 49 तक श्री अनिल पारा उद्यान पर्यवेक्षक को नियुक्त किया है। इसके अलावा शवों के परिवहन हेतु पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था हेतु श्री मनीष तिवारी उपयंत्री को नियुक्त किया है तथा कन्टेन्मेंट झोन, क्वारंटीन केन्द्र एवं शमशान घाट/कब्रिस्तान से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंध रूल्स 2016 के प्रावधान अनुसार अपशिष्ट निपटान हेतु एमपीपीसीबी द्वारा अनुबंधित एजेन्सी से करवाने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, श्री जय उपाध्याय व श्री तरूण राठौड उप स्वच्छता निरीक्षक को नियुक्त किया। कोविड मरीजों के घरो और कन्टेन्मेंट क्षेत्र को नियमित सैनिटाईज करने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, श्री नरेन्द्र छपरी तथा संपूर्ण गठित दल को नियुक्त किया है। उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल के निर्देशन में कार्य संपादित करेंगे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कोविड-19 संक्रमित होम आईसोलेशन मरीजों को मेडिसिन किट वितरण हेतु
वार्ड वार दल गठित कर प्रतिदिन किया जा रहा है किट का वितरण

कोविड–19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड वार वार्ड पर्यवेक्षकों व वार्ड प्रभारियों को नियुक्त किया है।

रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट वितरण हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जासयवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया तथा सहयोगी के रूप में उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया को नियुक्त किया है। स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह प्रतिदिन ई–दक्ष केन्द्र रतलाम से होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची प्राप्त कर सूची अनुसार जिला अस्पताल के स्टोर से आवश्यक मात्रा में मेडिसिन कीट संग्रहित करेंगे व नगर निगम के अग्निशमन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। फायरमैन श्री देवेन्द्र पुरोहित प्राप्त मेडिसिन कीट का आवक रिकार्ड दर्ज कर वार्ड वार नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों को आवश्यकतानुसार होम आईसोलेशन के मरीजों को वितरण हेतु उपलब्ध कराकर जावक पंजी संधारित करेंगे। वार्ड पर्यवेक्षकों द्वारा संकलित की गई जानकारी प्रतिदिन श्री वासुदेव बैरागी सहायक राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे श्री बैरागी प्रतिदिन 10 बजे के पूर्व संकलित जानकारी गूगल शीट पर दर्ज करेंगे।

होम आईसोलेशन मरीजों को किया मेडिसिन किट वितरण

कोविड–19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा वार्ड वार गठित दलों द्वारा मरीजो के घर जाकर मेडिकल किट प्रदान की। ई–दक्ष केन्द्र रतलाम से 21 अप्रैल बुधवार को होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने प्राप्त कर जिला अस्पताल के स्टोर से 148 मेडिसिन कीट प्राप्त कर निगम के अग्निशमन विभाग में उपलब्ध कराई। अग्निशमन विभाग से वार्ड वार गठित दलो वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

वार्ड वार गठित दलो द्वारा होम आईसोलेशन के मरीजो के घर-घर जाकर मेडिकल किट का वितरण किया गया जिसके तहत सूची अनुसार

21 अप्रैल :- 124 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

22 अप्रैल :- 89 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

23 अप्रैल :- 150 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

24 अप्रैल :- 238 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

25 अप्रैल :- 155 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

26 अप्रैल :- 184 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

27 अप्रैल :- 141 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

28 अप्रैल :- 159 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

30 अप्रैल :- 79 मरीजों को किया मेडिसिन किट का वितरण

को मेडिकल कीट का वितरण घर पर किया गया। परन्तु

- कुछ मरीजों का उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती होना पाया गया,
- कुछ मरीजो के कान्टेक्ट नम्बर व पते गलत पाये गये
- कुछ मरीजों का नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर से होना पाया गया
- कुछ मरीजो को पूर्व से ही मेडिसिन किट प्राप्त होना पाया गया।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

होम आईसोलेशन मरीजों को मेडिसिन किट वितरण के संबंध मे निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

कोविड–19 संक्रमण में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की प्रति की होम डिलेवरी किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक ली। निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि यह कार्य शासकीय कार्य होने के साथ–साथ मानव सेवा का भी कार्य है इस हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी का कर्तव्य है कि कोई भी मरीज मेडिसिन किट से वंचित ना रहे व इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि इस कार्य हेतु पर्याप्त वाहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाये साथ ही अग्निशमन कार्यालय में इसका केन्द्र स्थापित किया जाकर समस्त जानकारी संग्रहित की जाने के अलावा सभी मरीजो को तय समय पर मेडिसिन किट उपलब्ध हो इसकी सुनिश्चित्ता की जाये। रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में होम आईसोलेशन के मरीजो को मेडिसिन किट वितरण हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जासयवाल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया तथा सहयोगी के रूप में उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया को नियुक्त किया है। स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह प्रतिदिन ई–दक्ष केन्द्र रतलाम से होम आईसोलेशन के मरीजो की सूची प्राप्त कर सूची अनुसार जिला अस्पताल के स्टोर से आवश्यक मात्रा में मेडिसिन कीट संग्रहित करेंगे व नगर निगम के अग्निशमन कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे। फायरमैन श्री देवेन्द्र पुरोहित प्राप्त मेडिसिन कीट का आवक रिकार्ड दर्ज कर वार्ड वार नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों को आवश्यकतानुसार होम आईसोलेशन के मरीजों को वितरण हेतु उपलब्ध कराकर जावक पंजी संधारित करेंगे। वार्ड पर्यवेक्षकों द्वारा संकलित की गई जानकारी प्रतिदिन श्री वासुदेव बैरागी सहायक राजस्व निरीक्षक को उपलब्ध करायेंगे श्री बैरागी प्रतिदिन 10 बजे के पूर्व संकलित जानकारी गूगल शीट पर दर्ज करेंगे। आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिय कार्यालपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, श्री एम.के. जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री ब्रजेश कुशवाह, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी सहित नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

ऑक्सीजन की कमी को तत्काल पूरा किया

मेडिकल कॉलेज में 23 अप्रैल शुक्रवार की रात को ऑक्सीजन की कमी की सूचना मिलने पर कोविड प्रभारी मंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा, विधायक रतलाम शहर माननीय श्री चेतन्य काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, कर्मचारी व वाहनों के साथ तत्काल उपस्थित होकर मालवा ऑक्सीजन में 3 व महावीर ऑक्सीजन 2 लोडिंग वाहन व लेबरों लगाकर ऑक्सीजन सिलेण्डर भरवाकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे।

नगर निगम के आयुक्त महोदय श्री सोमनाथ झरिया ने 70 लेबर एवं पांच वाहन के साथ मौके पर पहुंच गए एवं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कर्मचारियों एवं वाहन के माध्यम से ऑक्सीजन की व्यवस्था स्वयं उपस्थित रहकर एवं नगर निगम के उपायुक्त महोदय श्री विकास सोलंकी जी एवं सहायक यंत्री श्री श्याम कुमार सोनी जी भी तब तक काम करवाते रहे जब तक यह पता नहीं चल गया की आक्सीजन की कमी अब नहीं है इसी बीच ऑक्सीजन का टैंकर भी पहुंच गया आयुक्त महोदय एवं टीम ने अपने सामने ऑक्सीजन को खाली करवाया एवं व्यवस्था को बिगड़ने से रोका इस कार्य में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर एवं नर्सो ने अपना सहयोग दिया। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक नगर निगम द्वारा यह व्यवस्था संपादित की जावेगी।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

मेडिकल कॉलेज में सफाई व ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय हेतु निगम ने किये कर्मचारी नियुक्त

20 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सफाई व ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति की है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न तलों के शौचालय व मूत्रालयों की सफाई हेतु 24 कर्मचारियों को नियुक्त किया इसी तरह मालवा ऑक्सीजन इन्टरप्राईजेस जावरा रोड से ऑक्सीजन सिलेण्डर लोडिंग वाहन में लोड करने एवं मेडिकल कॉलेज में अनलोड करने हेतु 6–6 घन्टे की शिफ्ट प्रातः 6 से दोपहर 12, दोपहर 12 से सांय 6, सांय 6 से रात्री 12 व रात्री 12 से प्रातः 6 बजे तक 6–6 कर्मचारियों की नियुक्ति की।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें
निगम आयुक्त द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय कार्य का निरीक्षण

24 अप्रैल |मेडिकल कॉलेज में उपचारत् कोविड–19 के भर्ती मरीजों किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर कार्य की सतत् निगरानी रखी जा रही है जिसके तहत निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा 24 अप्रैल की रात्री में मालवा व महावीर ऑक्सीजन पंहूचकर कार्य का अवलोकन किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने इस अवसर पर ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय में निगम के नियुक्त कर्मचारी वाहनों के ड्रायवर आदि को निर्देशित किया कि यह शासकीय कार्य होने के साथ मानव हित का भी कार्य है इस हेतु किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें व समय पर ऑक्सीजन सिलेण्डर मेडिकल कॉलेज पंहूचाये। इस अवसर पर उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित

ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय कार्य हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त

26 अप्रैल। मेडिकल कॉलेज में महावीर व मालवा ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय कार्य के पर्यवेक्षण हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेडिकल कॉलेज में मालवा व महावीर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय कार्य के पर्यवेक्षण हेतु पर्यवक्षकों को नियुक्त किया है जिसके तहत श्री सचिन सिलावट प्रातः 6 से दोपहर 12, श्री मनोज राठौड दोपहर 12 से सांय 6, श्री बसारत अली सांय 6 से रात्री 12 व श्री संदीप जोशी रात्री 12 से प्रातः 6 बजे तक पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

मरीजों की सुरक्षा हेतु नगर निगम हमेशा तत्पर रहेगा
ऑक्सीजन सिलेण्डर के संबंध में निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली जानकारी

28 अप्रैल। मेडिकल कॉलेज में उपचारत् कोविड–19 के भर्ती मरीजों किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी ना हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर कार्य की सतत् निगरानी रखी जा रही है जिसके तहत निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेडिकल कॉलेज पंहूचकर ऑक्सीजन सिलेण्डर के संबंध में जानकारी ली। निगम आयुक्त श्री झारिया ने मेडिकल कॉलेज पंहूचकर कॉलेज डीन श्री जितेन्द्र गुप्ता से ऑक्सीजन सिलेण्डर सप्लाय व अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा कर व्यवस्थाओं में सुधार किये जाने हेतु भरोसा दिलाते हुए कहा कि नगर निगम मरीजों की सुरक्षा व अन्य सहयोग हेतु हमेशा तत्पर है। इस अवसर पर सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह आदि उपस्थित थे।

बायो मेडिकल वेस्ट संग्रहण व डिस्पोजल हेतु अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त

24 अप्रैल। कोविड–19 के तहत होम क्वेरनटाईन में रह रहे व्यक्तियों से उत्पन्न बायो मेडिकल वेस्ट संग्रहण व डिस्पोजल हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अधिकारी एवं कर्मचारियों को पाबंद किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने कोविड–19 के तहत होम क्वेरनटाईन में रह रहे व्यक्तियों से उत्पन्न बायो मेडिकल वेस्ट संग्रहण व डिस्पोजल कार्य हेतु झोन प्रभारी श्री किरण चौहान मो.न. 7471144932 व वाहन चालक श्री वसीम–अब्दुल मजीद को नियुक्त किया है जो वाहन क्रमांक एम.पी. 43–जी 2875 के माध्यम से संग्रहण व डिस्पोजल का कार्य करेंगे जिसका प्रतिदिन का रिकार्ड भी संधारित किया जायेगा। नियुक्त कर्मचारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के निर्देशन में कार्य करेंगे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कोरोना से बचाव हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह जी चौहान द्वारा सामाजिक सस्थाओं से किये सीधे संवाद को देखा व सुना

06 अप्रैल । कोरोना महामारी की रोकथाम में समाज की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान 06 अप्रैल मंगलवार को जिले की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से एन.आई.सी. की विडियो कान्फ्रेसिंग के साथ किये गये सीधे संवाद को नगर निगम सभाग्रह में एलईडी वॉल स्क्रीन के माध्यम से देखा व सुना। इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

एडीएम व निगम आयुक्त द्वारा जिला चिकित्सालय का निरीक्षण सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के दिये निर्देश

05 अप्रैल । जिला चिकित्सालय की सफाई व्यवस्था को जांचने हेतु एडीएम श्रीमती जमुना भिड़े ने निगम आयुक्त श्री सोमनाथ व सिविल सर्जन श्री आनन्द चन्देलकर के साथ चिकित्सालय परिसर का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के निर्देश वेण्डर व कर्मचारियों को दिये। जिला चिकित्सालय में अपना उपचार कराने आने वाले मरीजों को साफ–स्वच्छ वातावरण मिले इस हेतु परिसर व वार्डो की नियमित साफ–सफाई करवाये जाने हेतु एडीएम श्रीमती भिड़े ने वेन्डर व कर्मचारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर उन्होने कर्मचारियों की उपस्थिति समक्ष में लेकर निर्देशित किया कि वे सौंपे गये दायित्व का पूरी निष्ठा व लगन के साथ निर्वहन करें साथ मरीजो व उनसे मिलने वाले आने वाले परिजन रिश्तेदारों को भी स्वच्छता बनाये रखने हेतु प्रेरित करें क्योंकि जहां स्वच्छता होगी वहीं पर स्वस्थता होगी।

रोटरी वार्ड के सामने जैन वार्ड के निरीक्षण के दौरान पाया कि परिसर के पेवर ब्लॉक क्षत्रिग्रस्त है साथ ही कुछ स्थल पर पेवर ब्लॉक लगाने की आवश्यकता है वनालियां भी ढंकी हुई नहीं है इस पर उन्होने निगम आयुक्त श्री झारिया से चर्चा कर निगम के इंजीनियर व जिला चिकित्सालय की इंजीनियर कामिनी मालवीय रिपेयरिंग वर्क का अवलोकन कर एस्टीमेंट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्व व श्वान प्रवेश नहीं करें इस हेतु पर्याप्त सिक्युरिटी गार्ड रखने हेतु वेन्डर को निर्देशित किया साथ यह भी निर्देश दिये कि सिक्युरिटी व सफाई कर्मचारी ड्रेस कोड में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर स्थित रेडक्रॉस के मेडिकल स्टोर संचालक को निर्देशित किया कि कोरोना से बचाव हेतु दुकान पर पीवीसी शील्ड अनिवार्य रूप से लगवायें। इस अवसर पर डॉ योगेश मिश्रा, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेश पाटीदार, श्री विकास मरकाम, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े आदि उपस्थित थे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी मास्क है जरुरी

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड पर्यवेक्षकों की बैठक ली

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोंलकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, स्वच्छता कनसलटेंट श्री प्रतीक मिश्रा, श्री एम.के. जैन, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, अनवर कुरेशी, बी.एल. चौधरी, राजेश पाटीदार, विकास मरकाम, सुश्री दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, सहायक वर्ग 3 श्री राजेन्द्र गेहलोत, श्री जितेन्द्र सिसोदिया, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनिल पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मोनिका चौहान, जय उपाध्याय, तरूण राठौड़ आदि उपस्थित रहे।

प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी नियुक्त
प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा विभिन्न योजनाओं का लाभ

कोविड–19 महामारी चलते मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी जो अन्य राज्य में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे थे, 10 मार्च 2021 या उसके बाद प्रदेश में वापस लौट रहे है उन प्रवासी श्रमिकों को प्रवासी श्रमिक पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को वार्ड वार नियुक्त किया है। निगम आयुक्त श्री झारिया ने श्रमिकों के पंजीयन हेतु वार्ड वार नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि शासन निर्देशानुसार प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर उन्हे संबल पोर्टल में पंजीयन उपरान्त उनकी पात्रतानुसार शासन की विभिन्न योजनाओं लाभ दिया जाना है तथा रोजगार पोर्टल के माध्यम से इन प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाना है इस हेतु वे अपने–अपने वार्डो में पंजीयन का समय–सीमा में संपादित करें।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

अनुपस्थित 25 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 01 अप्रैल गुरूवार को 25 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

सफाई कार्य में लापरवाही न बरतें कर्मचारी - आयुक्त श्री झारिया

सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 37 में गंदगी पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दरोगा मोहसिन इब्राहिम को निलंबित किया है।

सेवा से पृथक किये जाने का सूचना पत्र जारी

सफाई कार्य में निरंतर लापरवाही बरतने व वार्ड में गंदगी पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वार्ड क्रमांक 17 के स्थायीकर्मी सफाई संरक्षक व वार्ड प्रभारी रमेश डागर का एक दिवस का वेतन काटने, प्रभारी के पद से हटाये जाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया। वार्ड की समुचित साफ–सफाई का दायित्व वार्ड प्रभारी का होता है, प्रभारी रमेश डागर द्वारा वार्ड में नियमित सफाई नहीं करवाये जाने व वार्ड में गंदगी पाये जाने पर रमेश डागर का एक दिवस का वेतन काटा जाकर प्रभारी के पद से हटाया गया व सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना–पत्र जारी किया गया।

अखिलेश निमावत सेवा से बर्खास्त

राजेन्द्र सिंह गेहलोत एक वेतनवृद्धी असंचयी प्रभाव से रोकी

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

वार्ड प्रभारी नियुक्त

23 अप्रैल | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने उप स्वच्छता पर्यवेक्षक श्री जय उपाध्याय को अपने वर्तमान दायित्व के साथ–साथ वार्ड 6 का वार्ड प्रभारी नियुक्त किया है इसी तरह श्री मोहसीन–इब्राहिम को वार्ड 38 का प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा श्री मुकेश वैद्य कर्मशाला विभाग में पदस्थ कर प्रतिदिन ड्रायवरों व हैल्परों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु नियुक्त किया।

इसके अलावा श्रीमती मोनिका चौहान को वार्ड क्रमांक 8, श्री सतीश चौहान को वार्ड क्रमांक 17, श्री विनोद चावरे को वार्ड क्रमांक 21 व श्री नयन– विजय शिन्दे को वार्ड क्रमांक 37 का वार्ड प्रभारी नियुक्त किया गया।

मोहसीन इब्राहीम वार्ड 6 के वार्ड प्रभारी नियुक्त
2 अस्थाई सफाई संरक्षक सेवा से बर्खास्त, दरोगा किशन भाटी निलंबित

20 अप्रैल | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निलंबित दरोगा मोहसीन इब्राहीम को जांच जारी रखते हुए निलंबन से बहाल कर वार्ड 6 का प्रभारी नियुक्त किया।
इसके अलावा दरोगा किशन भाटी को लम्बे समय से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व कारण बताओ सूचना–पत्र का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निलंबित किया गया। जुलवानिया में नियुक्त अस्थाई सफाई संरक्षक बलराम व विशाल डागर द्वारा दोपहर पश्चात बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार सेवा से बर्खास्त किया गया।

नितलेश–गोपाल बिड़वान सेवा से बर्खास्त

28 अप्रैल | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने 30 दिवस सफाई संरक्षक नितलेश–गोपाल बिड़वान को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु न्यायालयीन प्रकरणों का उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में नहीं किये जाने व तथ्यों को छिपाये जाने पर सेवा से बर्खास्त किया। नितलेश–गोपाल बिड़वान निवासी 247, गांधी नगर द्वारा इनकी माता श्रीमती आनन्दीबाई पति गोपाल के स्थान पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण विचाराधीन है। अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने हेतु पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किये जाने पर नितलेश बिड़वान पर 6 विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। नितलेश बिड़वान वर्तमान में 30 दिवस बदली सफाई संरक्षक के पद पर कार्यरत है। नितलेश–गोपाल बिड़वान द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु न्यायालयीन प्रकरणों का उल्लेख अनुप्रमाणन फार्म में नहीं किये जाने व तथ्यों को छिपाये जाने पर दैनिक वेतन भोगी (सेवा की शर्ते) नियम के तहत सेवा से बर्खास्त किया गया।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेताओं को सम्बोधित किया
1000 -1000 की सहायता राशि खातों में अंतरित की

30 अप्रैल | प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 6.10 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 61 करोड रुपए की राहत राशि वनक्लिक के माध्यम से उनके खातों में अंतरित की। प्रति हितग्राही एक हजार रूपये की राहत राशि प्रति पथ विक्रेता को प्राप्त हुई। रतलाम जिले के नौ नगरीय निकायों के कुल 7832 विक्रेताओं को लाभान्वित किया गया। वर्चुअली आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाभ प्रदान कर संबोधित भी किया। रतलाम एन आई सी कक्ष में सब्जी विक्रेता श्री रमेश चंद्र पन्नालाल सिसोदिया मराठा मराठा रतलाम, सब्जी विक्रेता श्रीमती विद्या रमेश चंद्र सिसोदिया मराठों का वास, फल विक्रेता श्री जितेंद्र प्रजापत उकाला रोड रतलाम , मटका व्यवसायी श्रीमती भावना प्रजापत उकाला रोड रतलाम, गारमेंट्स व्यवसायी श्री विष्णु गोयल करण नगर रतलाम, चप्पल जूते विक्रेता श्री अशोक सिसोदिया सुभाष नगर रतलाम ने मुख्यमंत्री का उद्‌बोधन सुना। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, पीओ डूडा श्री अरुण कुमार पाठक, उपायुक्त नगर निगम श्री विकास सोलंकी, सिटी मैनेजर कपिल मारोठिया एवं श्री नितिन तिवारी उपस्थित थे।

फायर एनओसी हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सौंपे दायित्व

22 अप्रैल। ई–नगर पालिका अन्तर्गत फायर एन.ओ.सी सेवा के क्रियान्वयन हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दायित्व सौंपे। निगम आयुक्त श्री झारिया ने फायर एन.ओ.सी हेतु कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल को अधीक्षक नियुक्त किया है, लिपिकीय कार्य हेतु फायरमैन श्री देवेन्द्र पुरोहित व कम्प्यूटर कार्य हेतु श्री अरूण चावड़ा को नियुक्त किया। फायर एन.ओ.सी. हेतु प्राप्त आवेदनों पर समीक्षा कर अनुमोदन करने हेतु कमेटी का निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया है जिसके तहत श्री विकास सोलंकी, उपायुक्त को अध्यक्ष, श्री जी.के. जायसवाल व श्री सुरेशचन्द्र व्यास कार्यपालन यंत्री को सदस्य नियुक्त किया।

निगम अधिकारी एवं कर्मचारी कोरोना का दूसरा टीका अनिवार्य रूप से लगवायें

नगर निगम के अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारियों ने कोरोना का दूसरा टीका लगवा लिया है किन्तु कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी दुसरे चरण के टीके से वंचित है वे अपनी व अपनों की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से टीका लगवायें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी से आप सभी सुरक्षित रहे यह शासन एवं नगर निगम का उद्देश्य है । टीकाकरण से शेष रहे अधिकारी एवं कर्मचारी जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से टीका लगवायें। ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी जो कि टीकाकरण में रूचि नहीं दिखा रहे है उनके विरूद्ध नगर निगम द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

21 व 25 अप्रैल को पशु वध करना, मटन विक्रय प्रतिबंधित

मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 21 अप्रैल को रामनवमी व 25 अप्रैल को महावीर जयंती पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करना, मटन, गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौश्त विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

5 के स्थान पर 4 कचरा ट्रांसफर स्टेशन होगें विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को किया बंद

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर के 5 कचरा ट्रांसफर स्टेशन अमृत सागर, विरियाखेड़ी, ईश्वर नगर, विनोबा नगर व पोलोग्राउण्ड में से विनोबा नगर के कचरा ट्रांसफर स्टेशन को स्थाई रूप से बंद किया गया है अब विनोबा नगर आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जायेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी, झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा, सफाई संरक्षक, कचरा संग्रहण वाहन चालक व हैल्परों को निर्देशित किया कि विनोबा नगर में अब किसी भी प्रकार का कचरा खाली नहीं किया जायेगा यहां आने वाला कचरा पोलोग्राउण्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन पर ले जाया जायेगा जहां सूखा कचरा ग्रीन नेट के अन्दर खाली कर गीला कचरा काम्पेक्टर में लोड किया जाकर जुलवानिया प्रतिदिन भेजा जायेगा।

श्री श्याम सुन्दर सोनी व श्री प्रमोद तिवारी सेवानिवृत्त

नगर निगम के जनसंपर्क विभाग में कार्यरत सहायक वर्ग– 3 श्री श्याम सुन्दर सोनी व सचिव कार्यालय के स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण हो जाने पर कोविड–19 प्रोटोकॉल के तहत भाव–भीनी विदाई दी गई। उपायुक्त श्री विकास सोलंकी ने श्री श्याम सुन्दर सोनी व श्री प्रमोद तिवारी को हार पहनाकर, शाल–श्रीफल, प्रशस्ती पत्र व उपहार भेंट कर तथा साफा बांधकर सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। नगर में प्रतिदिन किया जा रहा है सेनेटाईजेशन

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

निगम आयुक्त ने एसडीएम के साथ किया सीवरेज कार्य का निरीक्षण

11 अप्रैल। हाट रोड पर चल रहे सीवरेज कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने एस.डी.एम. श्री अभिषेक गेहलोत के साथ कर कम्पनी के इंजीनियर से कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये। हाट रोड चौराहा व हाट रोड पुलिस चौकी के आगे वर्तमान में प्रारंभ किये गये सीवरेज का कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री झारिया ने एस.डी.एम. श्री गेहलोत व निगम इंजीनियरो के साथ कर कम्पनी के इंजीनियर से उक्त स्थल पर डाली जाने वाली लाईन की गहराई के बारे में जानकारी लेकर कार्य तीव्र गति से करने हेतु निर्देशित किया साथ ही यह भी निर्देश दिये कि खुदाई के दौरान पेयजल पाईप लाईन, नागरिकों के नल कनेक्शन, दूरसंचार की केबल आदि क्षतिग्रस्त ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी आदि उपस्थित थे।

दो मुंह की बावड़ी के कचरे की सफाई करने के दिये निर्देश

12 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को गंदे पानी की समस्या से मुक्ति दिलाये जाने हेतु नगर में डाली जा रही सीवरेज लाईन का कार्य अंतिम चरण में है, अंतिम चरण का कार्य शीघ्र–अतिशीघ्र पूर्ण हो इस उद्देश्य से निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी के साथ विभिन्न स्थानों पर चल रहे शेष कार्यो का निरीक्षण कर कम्पनी के इंजीनियर को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। सीवरेज कार्य के तहत निगम आयुक्त श्री झारिया ने सर्वप्रथम दौलतगंज में चल रहे कार्य कार्य का निरीक्षण डाली जाने वाली शेष लाईन की लम्बाई व गहराई की जानकारी संबंधित कम्पनी के इंजीनियर से लेकर पाईप लाईन डलने के बाद रोड लेवल तक भराव कर पानी डालने मटेरियल दबने के बाद मुरम डालने व रोलर चलवाने के बाद रिस्टोरेशन कार्य करने के निर्देश दिये। इसके पश्चात निगम आयुक्त श्री झारिया ने तोपखाना से चांदनी चौक तक चल रहे रिस्टोरेशन कार्य का निरीक्षण कर निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन कार्य पुरी गुणवत्ता के साथ किया जाये।

इसके अलावा उन्होने गौशाला रोड चौराहा, हाट की चौकी, हाट रोड, महाराणा प्रताप चौक, सैलाना ओवर ब्रीज के पास व साक्षी पेट्रोल पम्प के पास चल रहे सीवरेज कार्य का निरीक्षण कर कम्पनी के इंजीनियर को निर्देशित किया कि वे शेष कार्यको तीव्र गति से व पुरी गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें तथा कार्य के दौरान बेरिकेटिंग करने व कार्य का नाम, कार्य प्रारंभ की दिनांक, कार्य पूर्ण करने की दिनांक, कार्य की लम्बाई, इंजीनियर का नाम आदि का फ्लेक्स लगाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो मुंह की बावड़ी का निरीक्षण किया तथा बावड़ी के वर्षो पुराने कचरे को हटाने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिये ताकि प्राचीन जल स्त्रोत का पानी दूषित ना हो। खटीक मोहल्ला में वर्षो पुरानी नाली की जाम समस्या के निराकरण गत रात्री को नाली के जाम को खुलवाने हेतु प्रारंभ किये गये कार्य का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा किया गया।

शहर में चल रहे सीवरेज का कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण करें निगम आयुक्त श्री झारिया ने दिये निर्देश

13 अप्रैल। रतलाम नगर के नागरिकों को गंदे पानी की समस्या से मुक्ति दिलाये जाने हेतु नगर में डाली जा रही सीवरेज लाईन का कार्य अंतिम चरण में है, अंतिम चरण शहर में शहर में 7 स्थानों पर चल रहे कार्यो को 19 अप्रैल तक पूर्ण किये जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कम्पनी के इंजीनियरों को दिये।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार शहर में शेष रहे सीवरेज के कार्य को 19 अप्रैल तक पूर्ण कराये जाने के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने स्थलों का निरीक्षण करते हुए सर्वप्रथम साक्षी पेट्रोल पम्प के पास चल रहे कार्य का निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान उन्होने साक्षी पेट्रोल पम्प से राधाकृष्ण मंदिर व टैंकर रोड तक डाली जाने वाली सीवरेज पाईप लाईन के संबंध में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु पूर्व पार्षद के साथ सलि का निरीक्षण कर समस्या का निराकरण किया। निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने कम्पनी के इंजीनियर को निर्देशित किया कि जहां–जहां सीवरेज का कार्य किया जा रहा है वहां पर नागरिकों की जानकारी के लिये अनिवार्य रूप से फ्लेक्स बैनर लगाया जाये जिस पर कार्य का नाम, स्थान, कार्य आरंभ दिनांक, संभावित कार्य पूर्णता दिनां, पी.डी.एम.सी. इंजीनियर का नाम व प्रोजेक्ट इंजीनियर का नाम अंकित हो।

E-News Letter

रतलाम
नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

सैलाना बस स्टैण्ड चौराहे के निरीक्षण के दौरान वहां लाईन बिछाने का कार्य पूर्ण पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्थल का समतलीकरण कर पानी डालने व मुरम चुरी डालने व इसके पश्चात नियम समयावधि में रिस्टोरेशन का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा चेतक ब्रीज से फर्स्ट चर्च तक का कार्य 19 अप्रैल तक पूर्ण करने निर्देश संबंधित को दिये।

दो मुंह की बावड़ी की सफाई का कार्य प्रगति पर

जयवरूड़ी इन्फ्राकॉन को नोटिस जारी

सीवरेज कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया निरीक्षण
कार्य गुणवत्ता पूर्वक व तेजी से करने के दिये निर्देश

29 अप्रैल। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री गोपालचन्द्र डाड के निर्देशानुसार नगर के विभिन्न स्थानों पर चल रहे सीवरेज कार्य तेजी से करवाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने कार्य का निरीक्षण कर कार्य तेजी से किये जाने के निर्देश दिये। निगम आयुक्त श्री झारिया ने साक्षी पेट्रोल पम्प के पास व साक्षी पेट्रोल पम्प से राधाकृष्ण मंदिर, सैलाना बस स्टैण्ड, गेलेड़ा नमकीन से चमारिया नाका, आरोग्य हनुमान मंदिर से नगर निगम तिराहे तक चल रहे सीवरेज कार्य का निरीक्षण कर पीडीएमसी व ठेकेदार के इंजीनियरों को निर्देशित किया कि संसाधनों एवं कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि कर कार्य तेजी से पूर्ण करें। इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त बेरिकेट्स लगाये जाये इसके अलावा कार्य स्थल पर कार्य प्रारंभ दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक, कम्पनी का नाम, कार्य का विवरण आदि के फ्लेक्स अनिवार्य रूप से लगाये जाये साथ ही सड़क पर धूल, मिट्टी ना रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाये। चांदनी चौक में चल रहे रिस्टोरेशन कार्य के निरीक्षण के दौरान उन्होने निर्देशित किया कि रिस्टोरेशन का कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये उक्त अवसरो पर सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, ठेकेदार व पीडीएमसी इंजीनियर आदि उपस्थित थे।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी मास्क है जरुरी

नगर के सभी 49 जीरो वेस्ट वार्डो में घर-घर से किया जा रहा है कचरा एकत्रीकरण

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है जिसके तहत स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी किया जा रहा है इस कार्य में रतलाम नगर के नागरिक भी जागरूक हो चुके है नागरिकों के सहयोग से ही रतलाम नगर स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में नम्बर 1 बनेगा।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर के सभी 49 वार्डो को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने से वार्डो की सड़कों, गलियों एवं नालियों में कचरे की मात्रा कम हुई है नागरिक भी प्रातः अपने घरो, दुकानों से निकलने वाले कचरे का स्वंय गीले एवं सूख्खे कचरे पृथक्कीकरण कर कचरा संग्रहण वाहन में डाला जा रहा है इस कार्य में रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा भी पुरा सहयोग किया जा रहा है। निगम कचरा संग्रहण वाहन के सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली किया जाकर रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि को पृथक कर कबाड़ी को बेचा जा रहा है जिसका कबाड़ी द्वारा रजिस्टर भी संधारित किया जा रहा है। वार्डो में कचरा संग्रहण वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरो पर जाकर नागरिकों से गीला एव सूखा कचरा पृथक–पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया। नागरिकों से अपील जाती है कि वे अपने घरो एवं दुकानों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक–पृथक कचरा पात्रों में एकत्रित कर अपने घर के बाहर रख दें निगम द्वारा उसे कचरा संग्रहण वाहन में पृथक–पृथक डाला जायेगा।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाऐं अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग–अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डो में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रीन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये है। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहां होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये। प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी मास्क है जरुरी

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है। नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक– पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु

स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया। सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये

रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन
खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है नगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना :-

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन

सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन,

घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन

मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन

रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले– नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो. नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि षहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

भीड़ एकत्रित करने पर होटल बालाजी पर 5000 का जुर्माना

न्यू रोड स्थित होटल बालाजी के संचालक द्वारा होटल में अत्याधिक संख्या में भीड़ एकत्रित करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित का 5000 का जुर्माना किया गया इसके अलावा पॉलीथीन का उपयोग करने पर मुजफ्फर बोहरा बाखल पर 500 रूपये का स्पॉट फाईन कर 8 किलो पॉलीथीन जब्त की गई।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित

शासन निर्देषानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देषानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। 50 माईक्रॉन की पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर शद्ध दुध भण्डार, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट चौमुखी पुल पर 1000–1000, सांवरिया साड़ीज, कन्हैया स्वीट्स चौमुखी पुल, उजक्का, सुपर गारमेंटस्, पूर्णिमा साड़ी नौलाईपुरा, श्रेणिक पोहावाला कोर्ट तिराहा पर 500–500, अणुराज गारमेंट घांस बाजार पर 300, सब्बीन घांस बाजार पर 200 रूपये का जुर्माना किया गया साथ ही नगर के विभिन्न क्षेत्रों में बगैर मास्क वाले 15 व्यक्तियों पर 100–100 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए. पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाष षिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

इण्डस्ट्रीयल एरिया से 1300 किलो पॉलीथीन जब्त जब्त पॉलीथीन जुलवानिया में जमा कराई

50 मॉईक्रान से कम की पॉलीथीन जब्ती अभियान के तहत नगर निगम के गठित द्वारा पूर्व में सील गई सांई लीला प्लास्टिक की पॉलीथीन नागेश्वर पाईप पर रखे होने की सूचना प्राप्त होने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार दल द्वारा 1 क्विंटल 300 किलो जब्त की गई।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार जब्त की गई पॉलीथीन को नष्ट करने हेतु गाड़ी में भरकर जुलवानिया भेजा गया जहां वजन किया जाकर जमा कराई गई। पॉलीथीन जब्त करने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा के अलावा मनोज टांक, पवन झांझोट, आकाष षिन्दे, राकेष ललावत व मनोज झांझोट आदि के द्वारा की गई। घांस बाजार क्षेत्र में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निरीक्षण के दौरान खुले में कचरा पाये जाने पर वी.एस. मेडिकोस पर 500 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

खुले में कचरा डालकर गंदगी करने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा मोहम्मद रफीक घांस बाजार पर 500, हरमाला रोड क्षेत्र में सुरेष पर 500, वहीद पर 250 व बाबु पर 100 रूपये का जुर्माना किया गया।

खुले में गंदगी करने पर नित्यानन्द नमकीन पर जुर्माना

थावरिया बाजार क्षेत्र में नित्यानन्द नमकीन द्वारा खुले में गंदगी करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित पर 500 रूपये का जुर्माना कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

पॉलीथीन का उपयोग करने व गंदगी करने पर 10 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

E-News Letter

रतलाम

नगर पालिक निगम

दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

दिन और रात में स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ा

रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा

30 अप्रैल तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 799 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

E-News Letter
रतलाम
नगर पालिक निगम
दो गज दूरी
मास्क है जरुरी

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

पकड़े गए मवेशियों की संख्या